



## फ्लाइट में यात्रियों का अभद्र व्यवहार

### प्रलिस के लिये:

[नागरिक उड्डयन महानिदेशालय \(DGCA\)](#), [FIR \(प्रथम सूचना रिपोर्ट\)](#), विमान अधिनियम, 1934, [अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन \(ICAO\)](#)।

### मेंस के लिये:

फ्लाइट में यात्रियों का अभद्र व्यवहार

[स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय एयरलाइन इंडगो ने एक यात्री को नो-फ्लाई लिस्ट में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है। दिल्ली में घने कोहरे के बीच उड़ान में काफी देरी होने के बाद व्यक्ति ने अभद्र व्यवहार के कारण पायलट पर हमला कर दिया।

- एयरलाइन ने यात्री को "अभद्र" घोषित कर दिया और आगे की कार्रवाई उड्डयन निगरानी संस्था :[नागरिक उड्डयन महानिदेशालय \(DGCA\)](#), द्वारा जारी "अभद्र यात्रियों से निपटने" पर नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (CAR) द्वारा निर्देशित की जाएगी।

## अभद्र व्यवहार क्या है?

- परचियः
  - अभद्र व्यवहार में शराब या नशीली दवाओं का सेवन करना, जिसके परिणामस्वरूप वधितनकारी व्यवहार होता है, धूम्रपान करना, पायलट के निर्देशों का पालन न करना, धमकी या अपमानजनक भाषा का उपयोग करना, शारीरिक रूप से धमकी देना अथवा अपमानजनक व्यवहार करना, चालक दल के कर्तव्यों में जानबूझकर हस्तक्षेप करना और साथ ही विमान सुरक्षा को खतरे में डालना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- वधितनकारी/अभद्र व्यवहार के स्तरः
  - स्तर 1: मौखिक उत्पीड़न, शारीरिक हाव-भाव, अनयित्तरति नशा।
  - स्तर 2: शारीरिक रूप से अपमानजनक व्यवहार, जिसमें धक्का देना, लात मारना, मारना, अनुचित स्पर्श या यौन उत्पीड़न शामिल हैं।
  - स्तर 3: जीवन-घातक व्यवहार, जैसे- विमान प्रणालियों को हानि पहुँचाना, शारीरिक हसा अथवा उड़ान चालक दल के डबिबे में सेंध लगाने का प्रयास करना।

## अभद्र व्यवहार पर एयरलाइंस कैसे प्रतिक्रिया देती हैं?

- अभद्र व्यवहार पर प्रतिक्रियाः
  - दशा-निर्देशों के अनुसार एयरलाइन को यात्रियों को सूचित करना चाहिये कि अभद्र व्यवहार के कारण गरिफ्तारी हो सकती है।
  - ऐसे मामलों में जहाँ केबिन क्रू उड़ान के दौरान किसी अभद्र यात्री को नयित्तरति नहीं कर सकता है, पायलट को स्थितिका आकलन करना चाहिये और यदि आवश्यक हो, तो निकटतम उपलब्ध हवाई अड्डे पर उतरना चाहिये।
  - उतरने पर संबंधित सुरक्षा एजेंसी के पास एक [FIR \(प्रथम सूचना रिपोर्ट\)](#), दर्ज की जानी चाहिये, साथ ही अभद्र यात्री को उन्हें सौंप दिया जाना चाहिये।
- घटना के बाद की प्रक्रियाः
  - एयरलाइन को अनयित्तरति व्यवहार की शिकायत एक आंतरिक समिति को भेजनी चाहिये, जिसमें एक सेवानवित्त ज़िला और स्तर न्यायाधीश, एक अलग एयरलाइन का एक प्रतनिधि तथा एक यात्री संघ का प्रतनिधि शामिल हो।
  - आंतरिक समिति को 30 दिनों के भीतर मामले पर नरिणय लेना होगा, घटना को तीन परभाषित स्तरों में से एक में वर्गीकृत करना होगा,

साथ ही अभद्र यात्री पर प्रतबंध की अवधिनिरधारति करनी होगी ।

■ अनर्पितरति वुवहार के लरि दंड:

- एयरलाइन 30 दनिों तक का तत्काल प्रतबंध लगा सकती है ।
- एयरलाइंस द्वारा साझा कयि गए डेटा के आधार पर DGCA द्वारा एक नो-फलाई सूची बनाई जाती है ।
- अन्य वाहक भी अलग-अलग अवधिके लरि अपराध के स्तर के आधार पर यात्रियों पर प्रतबंध लगा सकते हैं ।

//

## Rising unruliness



### Passengers put on no-fly list



### Airlines that put the highest number on no-fly list

- IndiGo 46 (in 2022)
- Air India 27\*

To place unruly passengers on no-fly list, Centre recently categorised unruly behaviour in three levels

#### Level 1

Unruly behaviour (physical gestures, verbal harassment, unruly inebriation, etc.)

#### Level 2

Physically abusive behaviour (pushing, kicking, hitting, grabbing or inappropriate touching or sexual harassment, etc.)

Air India penalised two times this year by DGCA for not reporting two incidents on its international flights

#### Level 3

Life-threatening behaviour (damage to aircraft operating systems, physical violence such as choking, eye gouging, murderous assault, attempt or breach of flight crew compartment, etc)

\*Till July 15, 2023

## भारत के नागरिक उड्डयन बाज़ार का आकार क्या है?

■ यात्री यातायात वृद्धि:

- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा उड्डयन बाज़ार है ।
- भारत का घरेलू हवाई यात्री यातायात वर्ष 2023 में रिकॉर्ड स्तर (15.2 करोड़ यात्री) पर पहुँच गया , जो महामारी-पूर्व स्तर (वर्ष 2019 में 14.4 करोड़ यात्री) को पार कर गया ।

■ विकास की संभावना:

- भारत के नागरिक उड्डयन बाज़ार में महत्त्वपूर्ण विकास क्षमता है, बड़ी आबादी को देखते हुए जिसका अभी भी दोहन नहीं हुआ है । जैसे-जैसे

अधिक लोग मध्यम वर्ग में शामिल हो रहे हैं तथा हवाई यात्रा अधिक सुलभ हो रही है, उड़ानों की मांग और बढ़ने की उम्मीद है।

- **सरकारी पहल:**
  - भारत सरकार ने उड़डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये **उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना** जैसे कदम भी उठाए हैं, जिसका उद्देश्य व्यापक आबादी के लिये हवाई यात्रा को कफायती और सुलभ बनाकर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।
- **पूर्वानुमानित वृद्धि:**
  - नागरिक उड़डयन महानदेशालय (Directorate General of Civil Aviation - DGCA) के अनुसार, वर्ष 2024 के लिये दृष्टिकोण नरितर वृद्धि का सुझाव देता है, वर्ष 2023 की तुलना में घरेलू हवाई यातायात में 5% से 15% तक की वृद्धि का अनुमान है।

## अनयितरति व्यवहार को नयितरति करने वाले नयिम क्या हैं?

- **वमिन नयिम, 1937:**
  - वमिन नयिम, 1937 का गठन वमिन अधिनयिम, 1934 के अनुसरण में कयिा गया था। उपदरवी यात्रयिों को भारतीय दंड संहतिा, 1860 के साथ संयुक्त रूप से पढ़े जाने वाले इस अधिनयिम के तहत शासति कयिा गया था।
  - यह कानून आदरश व्यवहार बताता है जिसकी यात्रयिों से अपेक्षा की जाती है।
- **नागरिक उड़डयन महानदेशालय (DGCA):**
  - नागरिक उड़डयन महानदेशालय परमुख नयिमक संस्था है जो मुख्य रूप से भारत में नागरिक उड़डयन को नयितरति करती है। यत्सुरक्षा मुद्दों से नपिटने, हवाई परविहन सेवाओं के वनियिमन, नागरिक हवाई नयिमों और वनियिमों को लागू करने तथा ऐसे अन्य कार्यों के लिये ज़मिमेदार है।
    - यह अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड़डयन संगठन (ICAO) के साथ भी अपने कामकाज का समन्वय करता है। इस नकिया का एक मुख्य कार्य वायु सुरक्षा और उड़ान योग्यता मानकों को सुनश्चिति करना है।
- **मॉन्टरयिल प्रोटोकॉल, 2014:**
  - वर्ष 2014 का मॉन्टरयिल प्रोटोकॉल वर्ष 1963 के टोक्यो कन्वेंशन का एक संशोधन है। यह वरिष रूप से वमिन में अनयितरति व्यवहार के मुद्दे को उजागर करता है।
  - यह प्रोटोकॉल वमिन में होने वाले अपराधों और अन्य कृत्यों से नपिटने के लिये कानूनी अवसंरचना को बढ़ाता है।
  - यह संबद्ध राज्य के कषेत्राधिकार का प्रावधान करता है जिसमें वमिन पंजीकृत है एवं उस राज्य को अपराधयिों के वरिद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
  - टोक्यो अभसिमय:
    - टोक्यो अभसिमय (वायुयानों पर कयिे गए अपराधों तथा कुछ अन्य कार्यों से संबंधति कन्वेंशन को प्रभावी करने के लिये अधिनयिम) को वर्ष 1963 में अपनाया गया था।
    - यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसके तहत नागर वमिनन में होने वाले वधि-वरिद्ध कृत्यों का समाधान कयिा जाता है।
    - यह अभसिमय वायुयान कमांडर तथा अन्य संबंधति अधिकारयिों को वायुयान में, वरिषकर उड़ान के दौरान कयिे गए अपराधों से नपिटने के लिये कुछ शक्तयिों प्रदान करता है।

## अनयितरति व्यवहार पर नयितरण रखने हेतु क्या कदम आवश्यक हैं?

- **मॉन्टरयिल प्रोटोकॉल, 2014 तथा टोक्यो अभसिमय:**
  - वर्ष 2014 के मॉन्टरयिल प्रोटोकॉल जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसमर्थन को प्राथमकिता देना जिसके माध्यम से वर्ष 1963 के टोक्यो अभसिमय में संशोधन कयिा गया था।
  - अनुसमर्थन की सहायता से वायुयान में अपराधों एवं अनयितरति व्यवहार से नपिटने हेतु एक स्पष्ट कानूनी ढाँचा स्थापति होता है जिससे वधिकि प्रतिकरियाओं में एकरूपता सुनश्चिति होती है।
- **CAT III-सकषम रनवे का संचालन:**
  - अल्प दृश्यता की स्थति को संभालने की क्षमता बढ़ाने के लिये हवाई अड्डों पर (श्रेणी-III) CAT III-सकषम रनवे के संचालन में तेज़ी लाना।
  - CAT III संचालन का समर्थन करने के लिये प्रासंगकि बुनयिादी ढाँचा तथा उपकरण की मौजूदगी है सुनश्चिति करना।
- **DGCA द्वारा SOP नरिगमन:**
  - नागर वमिनन महानदेशालय (Directorate General of Civil Aviation- DGCA) को प्रतिकूल मौसम की स्थति के दौरान यात्रयिों के बेहतर संचार तथा सुवधि के लिये एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure- SOP) जारी करने का नरिदेश देना।
  - SOP को उड़ान रद्द होने तथा देरी की स्थति में यात्रयिों की परेशानी को कम करने, एयरलाइंस, हवाई अड्डों एवं ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसयिों के लिये स्पष्ट दशिा-नरिदेश प्रदान करने पर ध्यान केंद्रति करना की आवश्यकता है।
- **बेहतर संचार प्रोटोकॉल:**
  - उड़ान की स्थति तथा देरी के बारे में समय पर एवं सटीक जानकारी प्रदान करने के लिये एयरलाइंस, हवाई अड्डों व यात्रयिों के बीन्नाज़बूत संचार प्रोटोकॉल स्थापति करना।
  - यात्रयिों को सूचित रखने के लिये मोबाइल ऐप, SMS तथा सोशल मीडिया सहति आधुनकि संचार चैनलों का उपयोग करना।
- **अनयितरति यात्रयिों को संभालने हेतु चालक दल को प्रशकिषण:**

- अनयित्तरति यात्रयियों को प्रभावी ढंग से संभालने एवं संभावति संघर्षों को कम करने के लिये एयरलाइन कर्मचारियों के लिये वशिष प्रशक्तिषण कार्यक्रम आयोजति करना ।
- अनयित्तरति व्यवहार की रपौरटगि तथा प्रबंधन के लिये कानूनी ढाँचे और प्रक्रयियों के बारे में करू जागरूकता बढ़ाना ।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. सार्वजनकि-नजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अधीन संयुक्त उपकरमों के माध्यम से भारत में वमिान पत्तनों के वकिस का परीक्षण कीजयि । इस संबंध में प्राधकिरणों के समकष कौन-सी चुनौतयिँ हैं? (2017)

प्रश्न. अंतर्राष्टरीय नागरकि उड्डयन कानून सभी देशों को उनके कषेत्र के ऊपर हवाई कषेत्र पर पूर्ण और अनन्य संप्रभुता प्रदान करते हैं । 'हवाई कषेत्र' से आप क्या समझते हैं? इस हवाई कषेत्र के ऊपर अंतरकिष पर इन कानूनों के क्या प्रभाव हैं? इससे उत्पन्न चुनौतयिँ पर चर्चा कीजयि और खतरे को नयित्तरति करने के उपाय सुझाइये । (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/in-flight-unruly-behaviour-of-passengers>

